



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43737 वर्ष 2025

रिहानआवेदक(गण)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	अजय कुमार
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार तथा राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया।

धारा 483 बी एन एस एस के तहत यह जमानत अर्जी अभियुक्त-आवेदक, रिहान की ओर से दायर की गई है, जिसमें केस अपराध संख्या 351/2019 (एन डी पी एस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत, पुलिस थाना-सिविल लाइंस, मुरादाबाद) में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इस केस अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है और वह 09.05.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इससे पहले आवेदक जमानत पर था। लेकिन निचली अदालत के समक्ष पेश न होने के कारण, उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया और उसके बाद आवेदक के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही शुरू की गई। जब आवेदक को गैर-जमानती वारंट जारी होने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 और 83 के तहत कार्यवाही के बारे में पता चला, तो उसने 09.05.2025 को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। उसके खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों a के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है और जमानत पर रिहा होने की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, ज़मानत दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़ोरदार ढंग से ज़मानत अर्ज़ी का विरोध करते हुए यह दलील दी कि आवेदक आदतन फ़रार रहने वाला व्यक्ति है, किंतु वे उपर्युक्त तथ्यों को चुनौती नहीं दे सके। इन

सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सज़ा की गंभीरता और सहायक सबूतों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए—लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना—ज़मानत का मामला बनता है।

अतः, ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की जाती है।

उपर्युक्त मामले (अपराध संख्या) में शामिल आरोपी-आवेदक, रिहान को ज़मानत पर रिहा किया जाए; इसके लिए उसे एक निजी मुचलका और दो भारी व विश्वसनीय ज़मानतें (प्रत्येक उसी राशि की) संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करनी होंगी, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा/ उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं, और विचारण में सहयोग करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दे दी जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय को उसकी ज़मानत रद्द करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

16 जनवरी, 2026

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।